(२) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उपधारा (१) के अधीन उसको प्रदान की गई शक्तियां, ऐसी शर्तों के अधीन जैसी उल्लिखित की जायें, डिप्टी कमिश्नर के पद से नीचे न होने वाले किसी पदाधिकारी द्वारा प्रयोग में लायी जा सकेंगी.

संख्या २, १९१७. ३२. इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां सब प्रयोजनों के लिये यथास्थिति मध्यप्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, १९१७, अथवा बरार भू-राजस्व संहिता, १९२८, के अधीन कार्यवाहियां मानी जायेंगी, तथा अधिनियम अथवा संहिता के अधीन कार्यवाहियों को प्रयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा. प्रक्रिया.

३३. यदि किसी तहसील अथवा तालुका के लिये कोई तहसील समिति नहीं बनाई गई है तो इस अधिनियम के अधीन तहसील समिति के कार्य मंडली द्वारा किये जायेंगे. तहसील समिति के रूप में कार्य करने की मंडली की शक्ति.

३४. मंडली राज्य सरकार की पूर्वमंजूरी से समय समय पर इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों से सुसंगत निम्नलिखित के लिये विनियम बना सकती है :— विनियम.

(क) अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने तथा उसके कार्य के निपटारे के लिये ;
(ख) अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक और नौकरी की शर्तों के लिये ;
(ग) प्रक्रिया के विनियमन, कार्य के निपटारे, पदावधि तथा तहसील समिति के सदस्यों के पद में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये ;
(घ) भूमि के बटवारे के लिये अनुकरणीय सिद्धान्तों के लिये, जिन व्यक्तियों को भूमि दी जाय उनकी अर्हताओं के लिये तथा एक कुटुम्ब को पट्टे पर दिये जानेवाले अधिकतम रकबे और पट्टघन के लिये ;
(ङ) पट्टेदारों को ऋण देने की शर्तों को विहित करने के लिये ;
(च) इस अधिनियम के अधीन मंडली के कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी दूसरे विषय के लिये जिसके लिये विनियम बनाना आवश्यक या वांछनीय हो.

३५. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा और पूर्वप्रकाशन की शर्त के अधीन नियम बना सकती है. नियम बनाने की शक्ति.

(२) विशेषत: और उपरोक्त शक्ति की व्यापकता को बाधा न पहुंचाते हुए राज्य सरकार :—

(क) धारा २ के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये भूमि का क्षेत्र विहित करने के लिये ;
(ख) भूमि का दान करने के हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिये धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन आवेदन का प्रपत्र विहित करने के लिये ;
(ग) धारा १७ की उपधारा (३) के अधीन सूचना का प्रपत्र जिसके द्वारा व्यक्तियों को कारण बतलाने के लिये कहा जाय कि भूमि का दान क्यों स्वीकार न किया जाना चाहिये को विहित करने के लिये ;
(घ) धारा १७ की उपधारा (९) के अधीन दान स्वीकार करने के आदेश के पंजीयन की रीति विहित करने के लिये ;
(ङ) दान करने के आवेदन को खारिज करने के लिये धारा १७ की उपधारा (११) के पद (५) के अधीन अन्य आधार बतलाने के लिये ; और
(च) धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (च) के अधीन अन्य तफसीलें विहित करने के लिये;

नियम बना सकती है.

GPN—841—LD—7-8-53—1,020.

www.vinoba.in